**मेसर्स बास्पा आर्गेनिक्स लिमिटेड**

**बनाम**

**यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 13401/ 2015

मूल परिवाद संख्या: 48/2004 में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली के दिनांक 21.07.2015 के निर्णय एवं आदेश से

अपीलार्थी की तरफ से: एस.एस.नाफड़े वरिष्ठ अधिवक्ता, राजीव रहेजा, विपुल रहेजा, सुश्री लक्ष्मी अय्यर, सुश्री ऐश्वर्या दास

प्रत्यर्थी की तरफ से: पी.पी.मल्होत्रा वरिष्ठ अधिवक्ता, विनीत मल्होत्रा, मोहित पाल, सुश्री सुनैना फूल अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति मोहन एम.शांतनागौदर के न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया

1. वर्तमान अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (राष्ट्रीय आयोग), नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 21.07.2015 के निर्णय से उत्पन्न हुई है जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत (2004 की मूल याचिका संख्या 48) को खारिज कर दिया गया है)।

2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैः

2.1 मेसर्स श्री रंग एग्रो कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड का एक कारखाना ठाणे जिले के तारापुर के परिसर में है, जो साइपर मेथनिक एसिड क्लोराइड (सीएमएसी) नामक

रसायन के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ था जो कि उपयोग नगदी फसल को उगाने में उपयोग किया जाने वाला एक मध्यवर्ती उत्पाद है। उक्त कारखाना परिसर एक बीमार ईकाई बन गया था और महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम ('एमएसएफसी') द्वारा नीलामी की गई थी। बोली 14.03.2001 को हुई थी और 15.03.2001 को अपीलार्थी को 4 करोड़ रूपए की कीमत उद्धृत करने के बाद सबसे उंची बोली लगाने वाला घोषित किया गया।

2.2 अपीलार्थी ने नवंबर 2001 में सीएमएसी का उत्पादन शुरू किया। पिछली कंपनी (श्री रंग एग्रो कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड) ने प्रत्यर्थी से बीमा कवरेज लिया था, और अपीलार्थी ने इस कवरेज को जारी रखा। इसके लिए संयंत्र और मशीनरी का निरीक्षण करने के बाद प्रत्यर्थी द्वारा 12.11.2001 से 11.12.2001 तक एक अग्नि और विशेष जोखिम नीति जारी की गई थी जिसमें 12.5 करोड़ रूपए के कुल बीमित घोषित मूल्य के लिए विषय परिसर का बीमा किया गया। उक्त नीति 12.12.2001 एवं 11.01.2002 के बीच की अवधि के लिए भी जारी रही।

2.3 दिनांक 03.01.2002 को कारखाने के परिसर में आग लग गई जिसके आधार पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के पास दावा दायर किया। 30.01.2004 को तीन सर्वेक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी ने दो आधारों पर अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार कर दिया। सबसे पहले यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी ने कारखाना परिसर केवल 4 करोड़ रूपए में खरीदा था लेकिन उसने इसे अधिक मूल्यांकित कर दिया और 12.5 करोड़ रूपए के अत्याधिक मूल्य की पॉलिसी ले ली थी और दूसरा कि अपीलार्थी ने कारखाने में हेक्सेन के भंडारण और उपयोग के लिए विधिवत अनुज्ञप्ति नहीं होने के

आवश्यक तथ्य को छुपा दिया। इस तरह के अस्वीकृति से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दायर की।

3. राष्ट्रीय आयोग ने अपीलार्थी की शिकायत को यह धारित करते हुए खारिज कर दिया कि अस्वीकृति उपरोक्त दोनों मामले में उचित थी अर्थात् अपीलार्थी ने बीमा लेते समय कारखाने के मूल्य को बढ़ा चढ़ाकर बताया था, और अपीलार्थी हेक्सेन के भंडारण का अपेक्षित अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना काम कर रहा था। इस खारिजगी के विरूद्ध अपीलार्थी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 23 के तहत अपील के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.एस.नफाडे ने तीसरे सर्वेक्षणकर्ता एस.बी.नल्लूरी एंड एसोसिएट्स (तीसरा सर्वेक्षणकर्ता) के नियुक्ति के विरूद्ध तर्क दिया। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार दूसरे सर्वेक्षणकर्ता मेहता और पादमसे सर्वेयर्स प्रा. लिमिटेड, ("दूसरे सर्वेक्षणकर्ता"), ने स्पष्ट रूप से नुकसान का आंकलन किया था और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उसने अपीलार्थी की ओर से किसी भी तरह की दुर्भावना से इंकार किया था, तो तीसरे सर्वेक्षणकर्ता को नियुक्त करने का कोई अवसर नहीं था। माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.11.2001 की अधिसूचना पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया कि अपीलार्थी को हेक्सेन के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट दी गई थी क्योंकि अपीलार्थी ने 20 किलो लीटर से कम हेक्सेन का भंडारण

किया था। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 20 किलोलीटर हेक्सेन तक भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. दूसरी तरफ प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.पी.मल्होत्रा ने तर्क प्रस्तुत किया कि दावे को अस्वीकार करना उचित था क्योंकि अपीलार्थी ने यह प्रकट नहीं किया था कि उसके पास हेक्सेन भंडारण के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति नहीं था। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को पेट्रोलियम नियम 1976 ('1976 नियम') की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 7 के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक था।

5.1 आगे यह तर्क दिया गया कि यह मानते हुए भी कि उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21.11.2001 में प्रतिवादी को 20 किलो लीटर तक हेक्सेन भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट दी थी, दूसरे सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट जिसके खिलाफ अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी। स्वंय में निष्कर्ष में स्पष्ट था कि कारखाने परिसर में 90 किलो लीटर से अधिक हेक्सेन था जिसमें से 79.152 किलो लीटर को नुकसान हुआ था। इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में इस अधिसूचना के तहत छूट पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।

5.2 विद्वान अधिवक्ता ने बीमा लेते समय अपीलार्थी द्वारा विषय कारखाना के अधिक मूल्यांकन के सम्बंध में राष्ट्रीय आयोग के निष्कर्ष के पक्ष में भी तर्क दिया।

6. सबसे पहले हम यह अवधारित करना होगा कि हम यह समझने में असमर्थ है कि

अपीलार्थी द्वारा बीमा पॉलिसी केवल एक महीने के लिए क्यों ली गई थी और उसके बाद, फिर से केवल एक महीने के लिए क्यों बढ़ाई गई थी। यह भी काफी हैरान करने वाला है कि प्रत्यर्थी इतने कम समय के लिए पॉलिसी जारी करने के लिए क्यों सहमत हुआ, और इस संव्यवहार की विशिष्ट प्रकृति को समझने के लिए अभिलेख से कोई संभावित कारण सामने नहीं आ रहे हैं।

7. जैसा भी हो अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने और विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् हम पाते हैं कि उपरोक्त मामले में यह निर्धारित करने के लिए दो मुद्दे उठते हैं कि क्या पॉलिसी शर्त का उल्लंघन के लिए दावे को अस्वीकृत करना उचित था:

(i) क्या अपीलार्थी के पास हेक्सेन को संग्रहीत के लिए विधिवत अनुज्ञप्ति नहीं था और उसने एक महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, इस प्रकार पॉलिसी के खंड 1 का उल्लंघन किया था।

(ii) क्या अपीलार्थी ने बीमा लेते समय विषय कारखाने का अधिक मूल्यांकन किया था जो पॉलिसी के खंड 8 के तहत धोखाधड़ी है।

8. इस सम्बंध में हम बीमा पॉलिसी के उक्त खंडों को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक पाते हैं।

''1. गलत प्रस्तुतीकरण, गलत विवरण या किसी विशेष सामग्री के गैर-प्रकटीकरण की स्थिति में यह पॉलिसी शून्यीकरण हो जाएगी।

XXX

8. यदि दावा किसी भी तरह से कपटपूर्ण है, या यदि कोई झूठी घोषणा की गई या उसके

समर्थन में उपयोग किया गया है या यदि पॉलिसी के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए बीमाधारक या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी कपटपूर्ण साधन या उपकरण का उपयोग किया जाता है या यदि हानि या क्षति जानबूझकर किए गए कार्य से या बीमाधारक की मिलीभगत से होती है तो इस पॉलिसी के तहत सभी लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।

9. अनुज्ञप्ति के प्रश्न के सम्बंध में, प्रत्यर्थी का केस यह है कि अपीलार्थी ने यह प्रकट नहीं किया था कि उसने बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किए हेक्सेन का भंडारण किया था जैसा कि 1976 के नियमों के तहत आवश्यक है। इस सम्बंध में प्रत्यर्थी ने 1976 के नियमों की पहली अनुसूची के अनुच्छेद 3 और 7 पर भरोसा किया है। अनुच्छेद 3 और 7 विशेष रूप से पेट्रोलियम वर्ग ए का उल्लेख करते हैं, जिसे पेट्रोलियम अधिनियम 1934, (''पेट्रोलियम अधिनियम'') भी के तहत निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया गया है-

''(ख)'' पेट्रोलियम वर्ग ए का तात्पर्य 23 डिग्री सेंटिग्रेड से नीचे त्वरित बिंदु वाला पेट्रोलियम है।''

10. यह दिखाने के लिए कि हेक्सेन वर्ग ए के अंतर्गत आता है, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा संघ (एनएफपीए) की साहित्य की ओर आकर्षित किया जो एक अंर्तराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो आग के कारण मृत्यु, चोंट, सम्पत्ति और आर्थिक नुकसान को समाप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। एनएफपीए द्वारा तैयार चयनित रसायनों के भौतिक गुणों के अभिलेखों के अनुसार, एन हेक्सेन का त्वरित बिंदु 23 डिग्री सेल्सियस है। यह स्वीकृत है कि अपीलार्थी द्वारा

भंडारित किया जा रहा पदार्थ एन हेक्सेन या सामान्य हेक्सेन था। वास्तव में, इंटरनेशनल यूनियन आफ प्योर एंड एप्लायड कैमेस्ट्री द्वारा अपनाए गए नामकरण के अनुसार आण्विक सूत्र $C_6H_{14}$ को ले जाने वाले पदार्थ हेक्सेन या एन हेक्सेन के रूप में जाना जाता है। इसका समर्थन प्रतिवादी द्वारा संदर्भित ब्रैथरिक की हैंडबुक आफ रिएक्टिव कैमिकल हेजार्डस द्वारा भी किया जाता है, जिसमें लिखा गया है कि हेक्सेन जिसका सूत्र $C_6H_{14}$ है, का त्वरित बिंदु 23 डिग्री सेल्सियस है, चूंकि पदार्थ का त्वरित बिंदु 23 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे है इसलिए यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि यह पेट्रोलियम वर्ग ए की श्रेणी में आता है।

11. इस पृष्ठभूमि में हमें 1976 के नियमों की पहली अनुसूची के प्रासंगिक अनुच्छेदों को संदर्भित करना उपयोगी लगता है जो घटना की तारीख के अनुसार लागू नियम थे।

**प्रथम अनुसूची**

| अनुच्छेद | अनुज्ञप्ति का प्रपत्र | प्रयोजन जिसके लिए अनुदत्त किया गया | प्राधिकरण को अनुज्ञप्ति देने का अधिकार | शुल्क |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | X | 300 लीटर से अनाधिक मात्रा में वर्ग ए पेट्रोलियम का आयात और भंडारण करना | जिला प्राधिकरण | प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 20 रूपया |
| XX | XX | XX | XX | XX |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XII | संस्थापन में पेट्रोलियम का आयात एवं भंडारण करना | मुख्य नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक द्वारा इस सम्बंध में अधिकृत विस्फोटक नियंत्रक | प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या उसके भाग के लिए 20 रूपया |

1. एन.एफ.पी.ए 457, ज्वलनशील तरल पदार्थ गैसों या वाष्पों के वर्गीकरण के लिए अनुसंशित अभ्यास और बिजली की स्थापना के लिए खतरनाक (वर्गीकृत स्थानों के) वर्गीकरण के लिए रसायनिक प्रक्रिया (2017 संस्करण) क्षेत्र संस्करण

2. राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र पबकेम कम्पाउंड डाटाबेस उपलब्ध https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compund/Hexane.

3. बेरेथैरिक की प्रतिक्रियाशील रसायनिक खतरों की पुस्तिका वॉल्यूम 1, 2032 पीजी अरबन, ईडी सांतवां संस्करण 2006

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | XIV | थोक के अलावा आयात और भंडारण करने के लिए (ए) 300 लीटर से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम वर्ग ए, (बी) 25 हजार लीटर से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम वर्ग बी | पेट्रोलियम वर्ग बी जब थोक में या किसी अन्य वर्ग के साथ संग्रहीत किया जाता है |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (सी) 45 हजार लीटर से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम वर्ग वर्ग सी या (डी) आंशिक रूप से एक वर्ग और पेट्रोलियम के आंशिक रूप से दो वर्ग | |

12. यह देखने से पहले कि क्या अपीलार्थी को उपर दिए गए प्रावधानांे के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता थी, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अपीलार्थी ने दूसरे सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट या उसके निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी है कि कारखाने परिसर में 90 किलो लीटर से अधिक हेक्सेन था जिसमें से 79.152 किलो लीटर क्षतिग्रस्त हो गया इसके विपरित अपीलार्थी रिपोर्ट पर बहुत अधिक भरोसा करना चाहता हैं।

13. प्रत्यर्थी ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी को पेट्रोलियम अधिनियम एवं 1976 के नियमों के तहत एक वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक था। इस सम्बंध में यह ध्यान रखना उचित है कि पेट्रोलियम अधिनियम की धारा 8 यह स्पष्ट करती है कि पेट्रोलियम वर्ग एक की छोटी मात्रा के भंडारण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है। यह धारा उद्घोषित करती है।

8. ''वर्ग ए के पेट्रोलियम के छोटी मात्रा के आयात, परिवहन या भंडारण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है''

(1) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यक्ति को वर्ग ए पेट्रोलियम के आयात, परिवहन या भंडारण के लिए जो विक्रय के लिए आशियत नहीं है, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके कब्जे में कुल मात्रा 30 लीटर से अधिक नहीं है।

(2) इस धारा के तहत अनुज्ञप्ति के बिना रखे गए पेट्रोलियम वर्ग ए को कांच, पत्थर के पात्र या धातु के सुरक्षित रूप से बंद पात्र में रखा जाएगा जो कांच या पत्थर के पात्र के मामले में, क्षमता में एक लीटर से अधिक नहीं होगा तथा धातु के पात्र की क्षमता 25 लीटर से अधिक है।

13.1 इसलिए यह स्पष्ट है कि 30 लीटर से कम मात्रा में पेट्रोलियम वर्ग ए के भंडारण के लिए, पेट्रोलियम अधिनियम या उसके तहत नियमों के तहत किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, 300 लीटर से अधिक मात्रा में पेट्रोलियम वर्ग ए के आयात और भंडारण के लिए जिला प्राधिकरण द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है, इस प्रकार प्रत्यर्थी का यह तर्क उचित हो सकता है कि पेट्रोलियम वर्ग ए के भंडारण के लिए 30 लीटर से 300 लीटर तक की मात्रा के लिए अनुच्छेद 3 के तहत अनुज्ञप्ति की आवश्यकता हो सकती है, यद्यपि उपरोक्त मामले में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने 300 लीटर से अधिक हेक्सेन का भंडारण किया था, और इसलिए अनुच्छेद 3 के तहत अनुज्ञप्ति पर्याप्त नहीं होगा।

14. प्रत्यर्थी ने अनुज्ञप्ति की आवश्यकता पर आगे तर्क देते हुए 1976 के नियमों के

अनुच्छेद 7 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अनुच्छेद 7 थोक के अलावा कुछ प्रकार के पेट्रोलियम के भंडारण से सम्बंधित है। अभिव्यक्ति ''थोक में पेट्रोलियम'' को 1976 के नियमों के नियम 2 के खंड XV में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

(XV) थोक मात्रा में पेट्रोलियम का अर्थ है किसी टैंक में मौजूद पेट्रोलियम चाहे उसमें मौजूद पेट्रोलियम की मात्रा कुछ भी हो।

(जोर दिया गया)

14.1 टैंक शब्द को नियम 2 के खंड "(xxii)" में निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है

"(xxii)" टैंक का अर्थ 1 हजार लीटर से अधिक क्षमता वाले पेट्रोलियम के लिए एक पात्र है।

15. उपरोक्त दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि पेट्रोलियम की मात्रा चाहे कितनी भी हों जब पेट्रोलियम को एक टैंक में संग्रहीत किया जाता है तो इन्हें 1976 के नियमों के तहत थोक में पेट्रोलियम के रूप में संदर्भित किया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 7 जिस पर प्रत्यर्थी भरोसा करना चाहता है थोक के अलावा यानी एक टैंक के अलावा पेट्रोलियम के भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति देने से सम्बंधित है। दूसरे शब्दों में 300 लीटर से अधिक के वर्ग ए के पेट्रोलियम के लिए अनुच्छेद 7 के तहत अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है जबकि इसे 1 हजार लीटर से अधिक क्षमता वाले कंटेनर में संग्रहीत नहीं किया जा रहा हो।

16. इस सम्बंध में हम 1976 के नियमों के दूसरी अनुसूची के प्रपत्र XIV की शर्त 2 का भी उल्लेख कर सकते हैं। प्रपत्र XIV पहली अनुसूची के अनुच्छेद 7 के तहत दिए गए अनुज्ञप्ति से मेल खाता है, और उक्त प्रपत्र की शर्त 2 इस प्रकार हैः ''2. पेट्रोलियम को केवल भंडारण शेड  संग्रहीत किया जाएगा जो उपयुक्त गैर दहनशील सामग्रियों से निर्मित किया जाएगा, बशर्ते की जब कोई पेट्रोलियम वर्ग ए संग्रहीत नहीं किया जाता है तो बीम, राफ्टर्स, कॉलम, खिड़कियां और दरवाजे लकड़ी के हो सकते हैं।''

(जोर दिया गया)

16.1 'स्टोर शेड' को नियम 2 के खंड "(xxi)" में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः "(xxi)" भंडारकरण शेड, का अर्थ थोक के अलावा पेट्रोलियम के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत है, चाहे वह किसी संस्थापन का हिस्सा हो या नहीं किंतु इसमें अधिनियम की धारा 7, 8, 9 के तहत अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त पेट्रोलियम के भंडार के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत शामिल नहीं है"

16.2 इसलिए भंडारकरण शेड एक ऐसी इमाारत है जहां पेट्रोलियम को थोक के अलावा अर्थात अन्यथा 1 हजार लीटर से अधिक की क्षमता वाले पात्र के अलावा संग्रहीत किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियम 2 के खंड (XX) में कहा गया है कि एक भंडारकरण शेड 'संस्थापन' का एक हिस्सा हो सकता है। इस समय यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इस शब्द को 1976 के नियमों के तहत नियम 2 के खंड (xiv) में भी परिभाषित किया गया है।

(xiv) संस्थापन से अभिप्रेत है, कोई भी परिसर जिसमें किसी भी स्थान को थोक में

पेट्रोलियम के भंडारण के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, लेकिन इसमें एक कूपशीर्ष टैंक या सर्विस स्टेशन शामिल नहीं है।

17. 'भंडारकरण शेड और संस्थापन' को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्थापन का अर्थ बहुत व्यापक है। 1976 के नियमों के तहत किसी भी परिसर को संस्थापन बनाने के लिए इसमें आवश्यक रूप से थोक में पेट्रोलियम भंडारण के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया स्थान होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसी जगह में 1 हजार लीटर या उससे अधिक की क्षमता वाले पात्र रखने की क्षमता होनी चाहिए (जो कि 1976 के नियमों के तहत परिभाषित टैंक के अलावा कुछ नहीं होगा) साथ ही, किसी संस्थापन में थोक के अलावा पेट्रोलियम को संग्रहीत करने की क्षमता भी हो सकती है इसीलिए एक संस्थापन में टैंक और भंडारण शेड दोनों शामिल हो सकते हैं या इसमें केवल टैंक शामिल हो सकते हैं।

18. उपरोक्त मामले में दूसरे सर्वेक्षणकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हेक्सेन उन टैंकों से लीक हो गया था जिनमें इसे संग्रहीत किया गया था। यद्यपि अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट नहीं है कि टैंक शब्द का वही अर्थ दिया गया था जो 1976 के नियमों के तहत दिया गया था। यदि दूसरे सर्वेक्षणकर्ता द्वारा निर्दिष्ट टैंक ऐसे पात्र थे जो 1 हजार लीटर से अधिक पेट्रोलियम का भंडारण नहीं कर सकते थे तो वे 1976 के नियमों के तहत टैंक का गठन नहीं करेंगे और ऐसे टैंकों में संग्रहीत पेट्रोलियम थोक के अलावा संग्रहित पेट्रोलियम की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 के तहत अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी।

19. इस स्तर पर हम 1976 के नियमों के पहली अनुसूची के अनुच्छेद 6 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी द्वारा दिये गये आवेदन को संदर्भ में ले सकते हैं जो पत्र दिनांक 20.10.2001 के माध्यम से संस्थापन में पेट्रोलियम के आयात और भंडारण से सम्बंधित है। उपरोक्त आवेदन के जवाब में विस्फोटक नियंत्रक नागपुर ने दिनांक 05.11.2001 के पत्र के माध्यम से नोट किया कि प्रस्तावित स्थापना की साईट और ले आउट को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई थी कि शामिल किया जाने वाले पम्प मोटर आई एस 2148 के अनुसार ज्वालारोधी था। इसके अलावा अपीलार्थी को कुछ दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था जो कि आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति के अनुदान के सम्बंध में आवश्यक थे, जैसे कि प्रपत्र VIII के तहत आवेदन, (जो) अनुदान संशोधन नवीनीकरण पेट्रोलियम के आयात एवं भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण के लिए एक आवेदन है। एक सक्षम व्यक्ति द्वारा जारी किए गए 1976 के नियमों के नियम 130 और 126 के तहत आवश्यक सुरक्षा और परीक्षण प्रमाण पत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा विधिवत समर्थित साईड योजना के साथ स्थानीय जिला प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र इसके अतिरिक्त अपीलकर्ता को सॉल्वेंट, रैफिनेंट और स्लोप (अधिग्रहण, बिक्री, भंडारण और ओटोमोबाईल में उपयोग के रोकथाम) आदेश 2000 (2000 आदेश) के प्रावधानों के अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था।

20. उपरोक्त संचार स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि विस्फोटक नियंत्रक की राय थी कि जिस परिसर में अपीलार्थी हेक्सेन का भंडारण कर रहा था वह एक संस्थापन था। जैसा कि हमनें उपर चर्चा की है किसी परिसर को एक संस्थापन के रूप में मानने के लिए

इसमें 1976 के नियमों के तहत परिभाषित टैंक रखने के लिए तैयार जगह होनी चाहिए। इसमें दृढ़ता से पता चलता है कि दूसरे सर्वेक्षणकर्ता द्वारा संदर्भित टैंक वास्तव में टैंक थे जैसा कि 1976 के नियमों के तहत परिकल्पित किया गया था। हमारे विचारित दृष्टिकोण में अपीलार्थी को अनुच्छेद 6 के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है।

21. अपीलार्थी का मामला यह नहीं है कि उसने विस्फोटक नियंत्रक द्वारा निर्धारित दस्तावेज प्रदान किए। अपीलार्थी और उक्त प्राधिकारी के बीच कोई और संचार भी अभिलेख पर नहीं रखा गया है। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी को अनुच्छेद 6 के तहत अनुज्ञप्ति दिया गया था। उपरोक्त परिचर्चा के आलोक में हमारा विचार है कि अपीलार्थी को हेक्सेन के भंडारण के लिए 1976 के नियमों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक था। चाहे वह अनुच्छेद 6 या 7 के तहत हो और वह यह दिखाने में विफल रहा है कि उसके पास ऐसा कोई अनुज्ञप्ति था।

23. अनुज्ञप्ति आवश्यकताओं के सम्बंध में 1976 के नियमों की योजना की जांच करने के बाद अब हम अपीलार्थी के इस तर्क पर विचार कर सकते हैं कि उसे उक्त नियमों के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2000 के आदेश में संशोधन द्वारा दिनांक 21.11.2001 द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर छूट दी गई थी। संशोधित आदेश का प्रासंगिक खंड जिस पर अपीलार्थी द्वारा भरोसा किया जा रहा है वह इस प्रकार हैः

**3. सॉल्वैंटस, रैफिनेट्स श्लोप और अन्य उत्पाद की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंधः**

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दंडाधिकारी या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के बिना अनुसूची में शामिल सॉल्वैंट का अधिग्रहण, भंडारण या बिक्री नहीं करेगा परंतु प्रतिमाह 50 के.एल.एस या उससे कम की खपत और संयुक्त अनुसूची में सूचीबद्ध 20 के.एल.एस या उससे कम सॉल्वैंट के भंडारण के लिए ऐसे किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

24. स्पष्ट रूप से परंतुक में इसके तहत निर्धारित मामलों में अनुज्ञप्ति की आवश्यकता से छूट दी गई है। विदित है कि हेक्सेन का उल्लेख उपरोक्त में उल्लिखित अनुसूची में किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पदार्थ उसी के द्वारा शासित होता है। अपीलार्थी यह तर्क देना चाहता है कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार उसे अपने परिसर में हेक्सेन के भंडारण के लिए 1976 के नियमों के तहत अनज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। यह निर्धारित करने के लिए की क्या उक्त खंड में अनुज्ञप्ति के संदर्भ में पेट्रोलियम अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति शामिल है, 2000 के आदेश की पृष्ठभूमि और योजना की जांच करना आवश्यक है।

25. 2000 के आदेश को संशोधित करने वाली दिनांक 21.11.2001 की अधिसूचना और साथ ही उक्त आदेश पर एक नजर डालने से पता चलता है कि दोनों आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(i) के तहत केंद्र सरकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे। यह काननू जैसा कि इसके उद्देश्यों और कारणों के विवरण से स्पष्ट है आम जनता के हित में, कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य पर नियंत्रण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा

धारा 3 केंद्र सरकार को कुछ शर्तों के तहत किसी भी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य के विनियमन या निषेध के लिए आदेश पारित करने का अधिकार देती है। धारा 3(1) विशेष रूप से इस प्रकार हैः

**'3. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियां'**

1. यदि केंद्र सरकार की राय है कि किसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने या सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है कि उचित मूल्य पर उनका न्याय संगत वितरण और उपलब्धता या भारत की रक्षा या सैन्य अभियानो के कुशल संचालन के लिए किसी भी आवश्यक वस्तु को सुरक्षित करने के लिए या आदेश द्वारा उसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित करने का प्रावधान कर सकता है।

26. स्पष्ट रूप से धारा 3(1) के तहत आदेश निम्नलिखित से सम्बंधित हो सकते हैं।

I. किसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना या बढ़ाना।

II. ऐसी वस्तु का उचित मूल्य पर न्याय संगत वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना या भारत की रक्षा के लिए किसी आवश्यक वस्तु को सुरक्षित करना या सैन्य अभियानों का कुशल संचालन करना।

27. इसके अलावा धारा 3(2) उन विशेष पहलुओं पर विचार करती है जिनके सम्बंध में धारा 3(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किए जा सकते हैं। इस

सम्बंध में धारा 3(2) के खंड घ का उल्लेख करना प्रासंगिक है।

'(2)' उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके तहत बनाया गया एक आदेश प्रदान कर सकता है।

XXX

(घ) अनुज्ञप्ति परमिट या अन्यथा भंडारण को विनयमित करने के लिए किसी भी आवश्यक वस्तु का परिवहन, वितरण, निपटान, अधिग्रहण उपयोग योग्य हो।

28. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के पास धारा 3(1) में निर्धारित तीन उद्देश्य के अनुसरण में, आवश्यक वस्तु के भंडारण को नियंत्रित करने वाली अनुज्ञप्ति व्यवस्था प्रदान करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश पारित करने की शक्ति है। 2000 का आदेश हमारे विचार में एक ऐसा आदेश है जो विशेष रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सॉल्वैंट, रैफिनेट और स्लोप के ओटोमोबाईल में अधिग्रहण, बिक्री, भंडारण और उपयोग की रोकथाम को विनयमित करने वाली अनुज्ञप्ति व्यवस्था प्रदान करता है। उक्त आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि इसका आशय पेट्रोलियम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों सहित लागू किसी भी अन्य कानून के तहत किसी अन्य मौजूदा अनुज्ञप्ति व्यवस्था को बदलने या संशोधित करने का है।

29. वास्तव में हम पाते हैं कि 2000 के आदेश के अनुसरण में जारी की गई अधिसूचना इस सम्बंध में किसी विशेष संदेह को समाप्त करती है। उदाहरण के लिए जीआरएस का अवलोकन 578 (ई) 2000 आदेश के खंड 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिनांक

30.06.2000 का एक आदेश स्पष्ट रूप से बताता है कि आदेश के तहत संदर्भित अनुज्ञप्ति सॉल्वैंट, रैफिनेट और स्लोप अनुज्ञप्ति है। उक्त अधिसूचना दोहराती है कि उक्त अनुज्ञप्ति राज्य सरकार, जिला दंडाधिकारी या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया जाना है। जैसा कि 2000 के आदेश खंड 3(1) में उल्लिखित है।

30. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निर्गत अनुज्ञप्ति और नियंत्रण आदेश पेट्रोलियम अधिनियम की तुलना में पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 2000 के आदेश के खंड 3 में परिकल्पित अनुज्ञप्ति व्यवस्था और उसमें दी गई छूट पेट्रोलियम अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति आवश्यकताओं के अतिरिक्त है। 2000 के आदेश के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए विस्फोटक नियंत्रक के पत्र दिनांक 05.11.2001 के निर्देश पेट्रोलियम अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए अनुपालन की जाने वाली एक अतिरिक्त आवश्यकता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि 2000 के आदेश के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट पेट्रोलियम अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की छूट होगी। इसलिए यह मानते हुए भी कि अपीलार्थी को उक्त छूट के आधार पर 2000 के आदेश के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से छूट दी गई थी। अपीलार्थी को अभी भी 1976 के नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हम यहां यह जोड़ना जल्दबाजी करेंगे कि जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है अपीलार्थी द्वारा संग्रहीत हेक्सेन की मात्रा 20 किलो लीटर से अधिक थी इसलिए अपीलार्थी को 2000 के आदेश के तहत भी अनुज्ञप्ति प्राप्त करना आवश्यक था।

31. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि 1976 के नियमों में निर्धारित किया गया था कि उपरोक्त मामले में शामिल मात्रा के हेक्सेन के भंडारण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना था और अपीलार्थी इस आवश्यकता का पालन करने में विफल रहा है। ऐसे अनुज्ञप्ति के अभाव में अपीलार्थी हेक्सेन को वैध रूप से संग्रहीत नहीं कर सका। इसलिए हमारा विचार है कि अनुज्ञप्ति के गैर कब्जे का प्रकट न करना आवश्यक प्रकृति का था और यह बीमा पॉलिसी की शर्त 1 का उल्लंघन है। परिणाम स्वरूप हम राष्ट्रीय आयोग के निष्कर्ष की पुष्टि करने के इच्छुक है की प्रत्यर्थी द्वारा इस आधार पर अपीलार्थी के दावे को अस्वीकार करना उचित था।

32. दूसरा मुद्दा, विषय कारखाने के अधिक मूल्यांकन के समय किसी भी पक्ष द्वारा गंभीर रूप से बहस नहीं किया गया। इसके अलावा यह एक प्रश्न है कि एक तथ्य जिसकी यह अदालत आमतौर पर गहराई से जांच नहीं करती है। इस प्रकार हम उसके गुणों की जांच करने से बचेंगे। हमारे उपरोक्त निष्कर्ष के आलोक में यह भी अनावश्यक है कि अपीलार्थी के पास पेट्रोलियम अधिनियम और 1976 नियमों के तहत हेक्सेन भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति की कमी के आधार पर तत्काल दावे को अस्वीकार करना उचित था।

33. इस मामले में शामिल होने से पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि प्रत्यर्थी द्वारा तीसरे सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा कुछ आपत्ति उठाई गई थी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि तीसरे सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति यह जाचं करने के सीमित उद्देश्य के लिए थी कि अपीलार्थी के पास हेक्सेन के भंडारण के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति थी या नहीं। इसके अलावा, न ही तीसरे सर्वेक्षणकर्ता के निष्कर्षों ने दूसरे

सर्वेक्षणकर्ता के निष्कर्षों को बाधित किया न ही वे राष्ट्रीय आयोग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दिए गए निष्कर्ष पर पहुचे। दूसरे सर्वेक्षणकर्ता ने यह स्पष्ट कर दिया कि कारखाना परिसर में लगभग 90 किलो लीटर हेक्सेन संग्रहीत किया गया था और इस निष्कर्ष को अपीलार्थी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। साथ ही जबकि तीसरे सर्वेक्षक के निष्कर्ष पेट्रोलियम अधिनियम 1976 नियमों के तहत अनुज्ञप्ति की अनुपस्थिति के सम्बंध मे राष्ट्रीय आयोग के तर्क के पूरक है। वे इस निष्कर्ष के लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अपीलार्थी ने कभी स्वंय यह तर्क नहीं दिया है कि उसके पास हेक्सेन के भंडारण के लिए अपेक्षित अनुज्ञप्ति थी। परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि भले ही तीसरे सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति उचित थी या नहीं, उक्त सर्वेक्षणकर्ता के निष्कर्ष तत्काले मामले के परिणाम को प्रभावित नहीं करते हैं।

34. उपरोक्त चर्चा के आलोक में हम राष्ट्रीय आयोग के आपेक्षित निर्णय के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं कि बीमा पॉलिसी के खंड 1 और 8 के उल्लंघन के लिए दावे को अस्वीकार करना उचित था। इसलिए उपरोक्त अपील खारिज किया जाता है। तद्नुसार आदेश दिया गया।

देविका गुजराल अपील खारिज

Pawan Kumar No. II

Page no. 843 to 858